रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2019/पौष 12, 1940
No. 03] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019/PAUSHA 12, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भरतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 3(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 322(अ) दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में कतिपय नियम प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2018 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, एवं ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी और एतत्द्वारा यह नोटिस दिया गया था और उक्त राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र जनता को 2 अप्रेल, 2018 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और जबकि, यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अब, इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा 2 के खण्ड (गख), (गग), (गघ) और (गड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :--

1. (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2018 कहा जाएगा;

(2) ये उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 (इसमें इसके बाद प्रधान नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 4 में;

(i) उप-नियम (6) में, "वेबसाइट विकसित करेगा" शब्दों के बाद, "और ऐसी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करने के लिए प्राधिकरण को भी प्रदान करेगा" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे; और

(ii) उप-नियम (7) में, "प्राधिकरण" शब्द के बाद, "और महानिदेशक" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान नियमों के, नियम 20 में, उप-नियम (1) में, "इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा" शब्दों के बाद, "और एसी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करने के लिए प्राधिकरण को भी प्रदान करेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. प्रधान नियमों के, नियम 21 में :

(i) उप-नियम (1) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द स्थापित किए जायेंगे;

(ii) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाएगा;

"(7) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के मानचित्रण में रूपरेखाओं के रेखांकन में प्रत्येक क्षेत्र, संरचना, रास्ते, लैंडस्केप भुभाग, खुली जगह, वृक्ष, अन्य संरचनाए जैसे तालाब, कुआ, तटबंध, किलेबंदी, प्राचीन संरचनाओं के अवशेष और गुफाओं और शैलाश्रयों के साथ ऐसी अन्य संरचनाए जो वह ठीक समझे, जो संरक्षित क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य के भाग हों, आदि, को सम्मिलित किया जाएगा";

(iii) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाएगा;

"(8) विस्तृत स्थल योजना में खुली जगह का वर्तमान उपयोग सम्मिलित किया जाएगा";

(iv) उप-नियम (9) में, "और चलचित्र" शब्द का लोप किया जाएगा।

5. प्रधान नियमों में, पहली अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित को स्थापित किया जाएगा, नामतः ---

"पहली अनुसूची

[नियम 21 (1) देखें]

स्थल विन्यास तैयार करने के मानदंड :

संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के लिए स्थल विन्यास तैयार करने के दौरान निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा और उन्हें सम्मिलित किया जाएगा :

(i) संरक्षित क्षेत्र में स्थित सभी संरचनाओं का मानचित्रण;

(ii) संरक्षित क्षेत्र के बाहर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन क्षेत्र में और अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित सभी संरचनाओं का मानचित्रण;

(iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र या स्थानंतरित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से अंकन;

(iv) स्थल विन्यास में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र स्थित सभी संरचनाओं का मानचित्रण;

(v) अन्य संरचनाए जैसे तालाब, तटबंध, मिट्टी की किलाबंदी, प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, आदि को दर्शाना;

(vi) सड़के और रास्ते;

(vii) खुला क्षेत्र;

(viii) मलनिकासी पाइप लाइन, एक मीटर से ज्यादा चौडाई वाली बड़ी खुली नाली, नहरें, आदि;

(ix) जलापूर्ति लाइनें, जल संरचानाएं, आदि ।"

[फा. सं 1/28/2016-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सा.का.नि. 636(अ) के द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

G.S.R. 3(E).—Whereas draft rules to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 were published vide Notification of the Government of India, Ministry of Culture (Archaeological Survey of India), number G.S.R. 322(E) dated 21st March, 2018 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) as required by sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the said Gazette notification are made available to the public;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on 2nd April, 2018;

And whereas, no objections or suggestions were received from any person before the date so specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (cb), (cc), (cd) and (ce) of sub-section 2 of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011,

1. (1) These Rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Amendments Rules, 2018.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) in the sub-rule (6), after the words "publish its activities", the words "and provide such information to the Authority for hosting the same on its website" shall be inserted; and

(ii) in the sub-rule (7), after the words "interaction with the Authority", the words "and the Director-General" shall be inserted.

3. In the principal rules, in rule 20, in the sub-rule (1), for the words "Director General, Archaeological Survey of India", the words "Director General and the Authority" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 21,-

(i) in the sub-rule (1), for the words "five years", the words "ten years" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The mapping of protected monument and protected area shall comprise of plan and section of each structure, pathways, landscaped area, open spaces, trees, other features like tank, well, embankments,

fortifications, remnants of ancient structures and such other features including caves and rock-shelters as may be deemed fit that form part of cultural landscape of the protected area.";

(iii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) The open space in the detailed site plan shall indicate present usage of area.";

(iv) in the sub-rule (9), the words "and video" shall be omitted.

5. In the principal rules, for the First Schedule, the following shall be substituted, namely:-

"FIRST SCHEDULE

[See rule 21(1)]

Parameters for preparation of site plans :

While preparing a site plan for the protected area, prohibited and regulated areas, the following parameters shall be adhered to and incorporated:

(i) mapping of all structures in the protected area;

(ii) mapping of all structures in the area under control of the Archaeological Survey of India and acquired area; and structures outside the protected area;

(iii) clearly indicating protected area and area acquired or transferred to Archaeological Survey of India;

(iv) mapping of all structures in prohibited and regulated area on plan;

(v) other features like tank, embankment, mud fortification, remnants of ancient structures, etc., be shown;

(vi) roads and pathways;

(vii) open area;

(viii) sewerage pipe lines, big open drains with more than one meter width, canals, etc.;

(ix) water supply lines, water works, etc."

[F.No.1/28/2016-M]

USHA SHARMA, Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), *vide* notification number G.S. R.636(E), dated the 23rd August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.06 11:21:54 +05'30'